उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-135/2023/2895/तीस-3-2023
लखनऊः दिनांकः26 दिसम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

श्री राजेश कर्दम, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, फिरोजाबाद सम्प्रति सम्बद्ध मुख्यालय के विरूद्ध अवैध वसूली तथा कार्यालय में कार्यालय कर्मियों के साथ बाहरी व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत रूप से बैठकर धन उगाही किये जाने तथा शिथिल पर्यवेक्षण, शासकीय कार्यो में शिथिलता एवं घोर उदासीनता बरतने का प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाते हुये शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-लो0शि0 39/तीस-3-2023, दिनांक 19 अप्रैल, 2023 द्वारा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के सम्पादनार्थ श्री संजय सिंह, उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), बरेली को जांच अधिकारी नामित किया गया।

श्री राजेश कर्दम, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2624/तीस-3-2023, दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा मुख्यालय से सम्बद्ध किया गया है।

2. शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री राजेश कर्दम, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सम्बद्ध मुख्यालय को तात्कालिक प्रभाव से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रथम दल, बरेली के रिक्त पद पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है।

श्री राजेश कर्दम के विरूद्ध संस्थित उक्त विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही यथावत प्रचलित रहेगी।

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

संख्या-135/2023/2895(1)/तीस-3-2023, तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
(2) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0, लखनऊ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
(4) उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), बरेली।
(5) संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), बरेली।
(6) संबंधित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
(7) संबंधित अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने नव तैनाती पद/स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
(8) वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in